उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 163/2020

श्रीभगवान तिवारी वगै0.....वादीगण।

बनाम्

गंगोत्री देवी वगै0.....प्रतिवादीगण।

आदेश

29.04.2026 उभय पक्ष की पैरवी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता वादी के तरफ से दिनांक 05.08.2022 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी0 पी0 सी0 को प्रचालित करते हुये यह कथन करते है कि वादी ने यह वाद में गरीब परवर सलामत गुजारिस हाल यह है कि मुदालेह नं0 01 गंगोत्री देवी ने इस वाद के दौरान ऐराजी अंदर खाता नं0 49 जो ऐराजी सैमुदावहा है कि शिवशंकर चौधरी को बय वो फरोख्त निबंधित बसीका केबाला से कर दिया है। अनुरोध करते है कि अर्जी दाबी को इस मुकदमा में पक्षकार बनाया जाय।

प्रतिवादी द्वारा उक्त आवेदन का आजतक प्रति–उत्तर दाखिल नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादी को प्रति–उत्तर दाखिल करने से वंचित किया जाता है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। प्रतिवादी को प्रति–उत्तर दाखिल करने से वंचित किया गया है। वादी को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में केबाला की छाया प्रति दाखिल किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं0 01 गंगोत्री देवी ने दौरान मुकदमा शिव शंकर चौधरी को विवादित ऐराजी का केबाला तहरीर किया है। जिसे केता को वाद में पक्षकार बनाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः वादी के तरफ से दिनांक 05.08.2022 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी0 पी0 सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निदेर्शित किया जाता है कि शिवशंकर चौधरी को प्रतिवादी रूप में अर्जी में पक्षकार बनाने का आदेश दिया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है प्रतिवादी शिवशंकर चौधरी के उपस्थिति हेतू आपेक्षिकांए दाखिल करें।

दिनांक–03.06.2025 वास्ते आपेक्षिकांए दाखिल करने हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)